भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA दस रुपये TEN RUPEES

178

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /दो/2012 निगरानी – R-3734-II/12

R-3734-II/12

1. ओमप्रकाश
2. रामप्रकाश
3. आनन्द प्रकाश
4. ब्रजेश कुमार

समस्त पुत्रगण हरचरण पाठक

निवासीगण ग्राम–भडसेर,

तहसील–नौगांव जिला–छत्तरपुर

श्री एन.के. बाजपेयी को द्वारा आज दि. 30-10-12 को प्रस्तुत

30-10-12

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

5. सुरेश
6. ओमकार
7. हरिओम
8. जगदीश प्रसाद
9. अम्बिका प्रसाद

समस्त पुत्रगण लक्ष्मीप्रसाद पाठक

निवासीगण ग्राम भडेसर, तहसील

नौगांव जिला छत्तरपुर म0प्र0

विरूद्ध

1. काशीराम तनय खुमान लोधी

निवासी ग्राम–भड़सेर तहसील नौगांव

जिला–छत्तरपुर———मूल अनावेदक

2. राकेश पुत्र नन्दन यादव निवासी ग्राम

झीझन तहसील–नौगॉव जिला–छत्तरपुर,

3. म0प्र0 शासन———तरतीबी अनावेदकगण

30-10-2012

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

अपर कलेक्टर छत्तरपुर द्वारा 262/अ-12/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-8-2012 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959.

7

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3734-दो/2012 जिला छतरपुर

ओमप्रकाश विरूद्ध काशीराम व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 262/अ-12/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 23-08-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) सदस्य 12.3.19	